दिनांक: 7 अगस्त 2023

महिलाओं के अवैतनिक श्रम

पाठ्यक्रम: जीएस 3 / भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ:

- हाल ही में महिलाओं के अवैतनिक श्रम को पहचानने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगई थिट्टम (**महिलाओं की बुनियादी आय योजना) शुरू की,** जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करना है।

प्रमुख बिन्दु-

महिलाओं का अवैतनिक श्रम क्या है?

- घरेलू और देखभाल कार्य, जो अवैतनिक है, भारतीय महिलाओं पर असंगत रूप से पड़ता है।
- इसमें वे कर्तव्य शामिल हैं जो घर से संबंधित हैं, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, घर का प्रबंधन और रखरखाव, किराने की खरीदारी, बच्चों की देखभाल और बीमार या बुजुर्गों की देखभाल करना।

चार्ट 3: जो महिलाएं कामकाजी नहीं हैं (न तो नौकरीपेशा हैं और न ही काम की तलाश में हैं) वे प्रतिदिन 7:15 घंटे बिना कुछ किए बिताती हैं। जहां नौकरीपेशा पुरुष प्रति दिन 2.7 घंटे खर्च करते हैं, वहीं नौकरीपेशा महिलाएं प्रति दिन 5.8 घंटे खर्च करती हैं, जो बहुत पीछे नहीं हैं। जो पुरुष बेरोजगार हैं वे इन कार्यों पर प्रति दिन 3:55 घंटे खर्च करते हैं, जो कि नौकरीपेशा महिलाओं की तुलना में दो घंटे कम है।

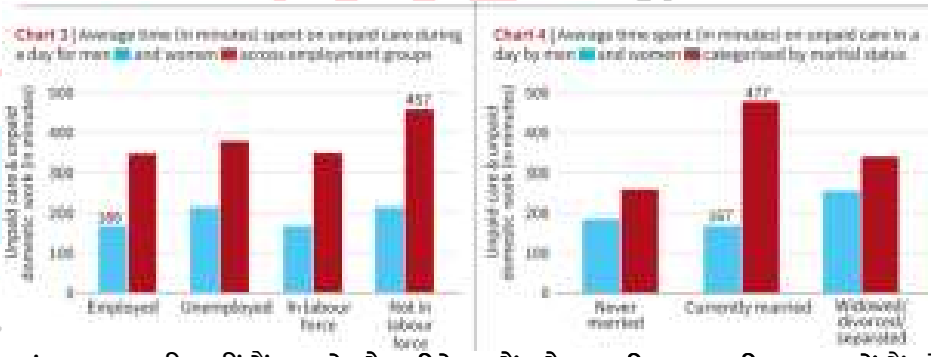

चार्ट 4: उन महिलाओं की तुलना में जिनकी कभी शादी नहीं हुई (4.3 घंटे/दिन), विधवा, तलाकशुदा, या अलग (5.7 घंटे/दिन), विवाहित महिलाएं प्रति दिन लगभग 8 घंटे बिताती हैं। दूसरी ओर, जो पुरुष विवाहित हैं, वे विधवा, अलग हो चुके या कभी शादी न करने वाले पुरुषों की तुलना में प्रति दिन केवल 2.8 घंटे बाहर बिताते हैं, जो प्रति दिन 4.2 घंटे बाहर बिताते हैं।

यह चिंता का विषय क्यों है?

- घरेलू काम का बोझ जितना अधिक होगा, **श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही कम होगी।**
- भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर **(एलएफपीआर) 20 से अधिक वर्षों से घट रही है, बावजूद इसके कि इस अवधि में शिक्षित महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है।**

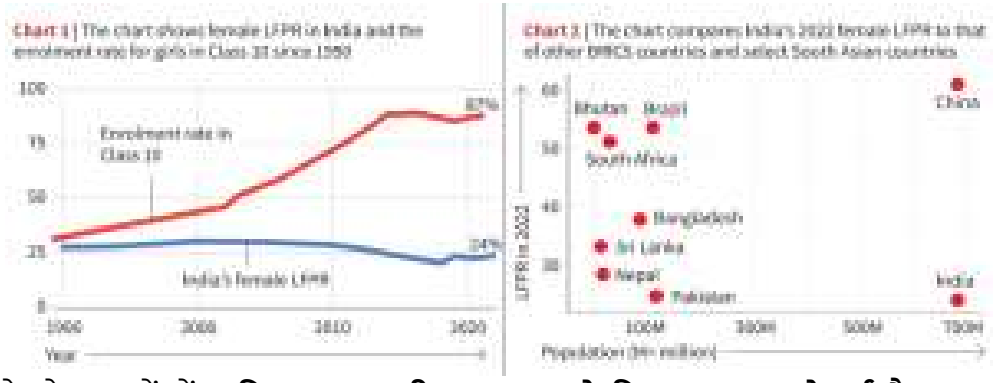

चार्ट 1: पिछले दो दशकों में, **महिला एलएफपीआर 30% से गिरकर 24% हो गई है,** बावजूद इसके कि लड़कियों के **बीच** कक्षा 10 नामांकन दर **46% से बढ़कर 87%** हो **गई है।**

चार्ट 2: भारत की 2022 की महिला एलएफपीआर की तुलना अन्य ब्रिक्स देशों (रूस को छोड़कर) और चुनिंदा दक्षिण एशियाई देशों से करने पर **भारत की महिला एलएफपीआर (24%) इन सभी देशों में सबसे कम थी।**

महिलाओं के अवैतनिक काम को मापने और क्षतिपूर्ति करने के साथ चुनौतियां-

1. **अवैतनिक कार्य को मापना: क्या अवैतनिक** देखभाल कार्य को एक मूल्य सौंपा जा सकता है, जिसमें आमतौर पर भावनाएं शामिल होती हैं। क्या माता-पिता द्वारा अपने बच्चे को प्रदान की जाने वाली देखभाल को बाजार मजदूरी के संदर्भ में मूल्यवान माना जा सकता है?
2. **श्रम का द्विआधारी दृष्टिकोण:** गृहकार्य को पारंपरिक रूप से 'आर्थिक' और 'गैर-आर्थिक' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो उत्पादकता और श्रम की धारणाओं पर निर्भर करता है जो उत्पादक और **हिसाब है और श्रम जिसे उत्पादक नहीं माना जाता है और जिसका कोई हिसाब नहीं है।**
3. **काम के रूप में क्या मायने रखता है, इसकी पहचान करना:** महिलाएं अक्सर अवैतनिक कार्य करती हैं जैसे कि खेत में निराई, मवेशियों की देखभाल करना, घास काटना, और इसी तरह। आमतौर पर, यह **सब उत्पादक होने के बावजूद घरेलू काम माना जाता है। इस काम की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है** और इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया है।
4. **यह धारणा कि घर का काम महिलाओं का काम है: घर के काम** की भरपाई करना इस स्टीरियोटाइप को और अधिक कायम रख सकता है **और इसे मजबूत करने में मदद कर सकता है।** ऐसी स्थिति में **जहां महिलाएं पहले से ही श्रम बल से तेजी से गायब हो रही हैं, इस तरह की पितृसत्तात्मक अवधारणाओं को संस्थागत बनाने से अधिक महिलाओं को अन्य भुगतान वाली नौकरियों में लाने में** मदद नहीं मिल सकती है।
5. **मुआवजा कौन देता है, इस बारे में भ्रम: जिन मांगों में पतियों को घर के काम के लिए** अपनी पत्नियों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, उनकी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि **गृहिणी पर घर के काम की जिम्मेदारी,** इसके विपरीत इसका मतलब है कि पुरुष 'मालिक' हैं।

क्या करने की जरूरत है?

- एक सावधानीपूर्वक गठित, **राज्य-समर्थित नीति** (घर के भीतर पति से पत्नी को धन के सरल हस्तांतरण के बजाय) एक व्यवहार्य समाधान हो सकता है।
- पहला कदम **उन तरीकों के बारे में सोचना चाहिए जो घरेलू काम और देखभाल के काम के लिए उचित मूल्य प्रदान करते हैं,** न केवल इसलिए कि महिलाएं अपने श्रम के लिए वेतन के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि इस तरह के काम की गरिमा को पुनः प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
- **मूल्य निर्धारण उपाय के रूप में समय का उपयोग करें:** सरकार को गैर-बाजार घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए हिसाब रखने की आवश्यकता है।
- घरेलू स्तर पर **राज्य-समर्थित लिंग-तटस्थ आय हस्तांतरण** पर विचार करें।

- **मातृत्व अधिकारों और बच्चों की देखभाल** को सार्वजनिक हित के रूप में सार्वभौमिक बनाना। यह भारतीय महिलाओं को देखभाल के काम के भारी बोझ से दूर जाने की अनुमति देगा।
- **सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में निवेश**: पानी, स्वच्छता, सड़क, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश महिलाओं के कार्य-भार को काफी कम कर सकता है।

आगे का रास्ता:-

- महिलाओं की घरेलू गतिविधियों को मुद्रीकृत करने या मूल्य देने का प्रयास करने से पहले, यह आवश्यक है कि **इस तरह के काम को कम करने और पुनर्वितरित करने के लिए कदम उठाए जाएं।**
- जैसा कि **महिलाओं को काम पर सशक्त बनाने की आवश्यकता है, पुरुषों को घर पर सशक्त होना चाहिए।** घरेलू काम साझा करने के बारे में पुरुषों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- **मद्रास उच्च न्यायालय ने** हाल ही में कहा कि गृह-निर्माता पति द्वारा खरीदी गई घरेलू संपत्तियों में समान हिस्सेदारी के हकदार हैं, इसका कारण यह है कि पत्नी बच्चों को पालती है और घर का पालन-पोषण करती है और इस तरह अपने पति को उसकी आर्थिक गतिविधियों के लिए मुक्त करती है। इस प्रकार, महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू काम को उचित मान्यता देना।

स्रोत: TH

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न- किस राज्य द्वारा महिलाओं से संबंधित कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगई थिट्टम योजना किया गया हैं?

1. केरल
2. तमिलनाडु
3. आंध्रप्रदेश
4. कर्नाटक

मुख्य परीक्षा प्रश्न- महिलाओं का अवैतनिक श्रम क्या है? महिलाओं के अवैतनिक काम को मापने और क्षतिपूर्ति करने के साथ चुनौतियां क्या हैं। चर्चा करे?

Rajiv Pandey

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद

मुख्य परीक्षा: जीएस-02: राजनीति और शासन

संदर्भ-

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की "वैज्ञानिक जांच" जारी रखने से रोकने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश पर सर्वेक्षण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी।

ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में-

- ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है।
- कुछ लोगों का मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कई पुनर्निर्माणों से गुजरा है, मंदिर का एक पुराना संस्करण जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद हैं तक शामिल थी।
- कुछ इतिहासकारों का मानना है कि **मुगल शासक औरंगजेब** ने 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर **ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था।**

विवाद-

- ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ विवाद पहली बार 1991 में अदालतों में पहुंचा, जब एक याचिका में मस्जिद को साइट से हटाने और हिंदू समुदाय को भूमि का कब्जा हस्तांतरित करने की मांग की गई।
- याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि **महाराजा विक्रमादित्य ने 2,000 साल पहले मंदिर का निर्माण किया था और मस्जिद का निर्माण केवल 1664 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश देने के बाद किया गया था।**
- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के खंडहरों का उपयोग करके भूमि के एक हिस्से पर बनाई गई थी, यह कहते हुए कि पुराने मंदिर के अवशेष अभी भी मस्जिद से सटे देखे जा सकते हैं।
- हालांकि, विश्व हिंदू परिषद का तर्क है कि पूजा स्थल अधिनियम ज्ञानवापी मुद्दे पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 1947 के बाद से धार्मिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और हिंदू हमेशा साइट पर पूजा करते रहे हैं।

मस्जिद की प्रबंध समिति की दलीलें-

- 1998 में, मस्जिद की प्रबंधन समिति ने एक अदालती आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ट्रस्ट की याचिका को खारिज करने की मांग की गई।
- समिति ने अदालत के समक्ष यह भी गवाही दी कि मस्जिद और मंदिर लंबे समय से एक साथ अस्तित्व में थे और किसी भी समुदाय को धार्मिक उद्देश्यों के लिए अपने संबंधित मंदिरों का उपयोग करने में किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ था।
- अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देने के बाद, कानूनी विवाद 2019 में फिर से खुलने से पहले 20 साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा।
- एएसआई के सर्वेक्षण का आदेश तब दिया गया था जब मस्जिद के परिसर में अपने देवताओं की पूजा करने के अपने अधिकार की घोषणा की मांग करने वाली चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता के बारे में अभी भी "गंभीर संदेह" थे।
- यह तर्क दिया जाता है कि **1991 के अधिनियम** ने पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि यह स्वतंत्रता के दिन मौजूद था।
- यह सर्वेक्षण 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन था, जिसे धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र की सुरक्षा के माध्यम से भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए लागू किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां-

- इसने विशेषज्ञ निकाय से केवल "गैर-आक्रामक तरीकों" का उपयोग करके अपना सर्वेक्षण करने की अपनी प्रतिज्ञा को बरकरार रखने का आग्रह किया।
- जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या 17वीं शताब्दी में मस्जिद के निर्माण से पहले वहां कोई हिंदू मंदिर था।
- कोई भी दीवार या अन्य संरचना क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, और संपत्ति पर कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए।

पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या है?

- अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के मद्देनजर, पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने सितंबर 1991 में पूजा स्थल अधिनियम लागू किया था।
- सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए पेश किए गए, अधिनियम में कहा गया है कि पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखा जाएगा जैसा कि यह 15 अगस्त, 1947 को मौजूद था।
- कानून ने अयोध्या में विवादित ढांचे को अपने दायरे से बाहर रखा, बड़े पैमाने पर क्योंकि यह पहले से ही मुकदमेबाजी का विषय था।
- इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी पूजा स्थल की पिछली स्थिति के बारे में किसी भी समूह द्वारा नए दावों को रोकना और संरचनाओं या भूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना था, जिस पर वे खड़े थे।
- अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान किया गया था कि पूजा स्थलों पर दावों से संबंधित सभी लंबित मामले समाप्त हो जाएंगे, और आगे कोई कार्यवाही दायर नहीं की जा सकती है।

छूट प्राप्त साइटें

- कुछ स्थलों को इस धारा के दायरे से छूट दी गई थी, जिनमें प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष शामिल हैं जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा कवर किए गए हैं।
- यह 1991 के अधिनियम के लागू होने से पहले निपटाए गए किसी भी मुकदमे पर भी लागू नहीं होगा।

स्रोत: TH

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।-

1. ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है।
2. पूजा स्थल अधिनियम, 1991, पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखे जाने से संबंधित हैं

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

मुख्य परीक्षा प्रश्न –

प्रश्न- ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में में बताते हुए पूजा स्थल अधिनियम, 1991 किस प्रकार से पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखे जाने से संबंधित हैं चर्चा करे।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com